

देखिये नियम-9
कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) लाडनूं

दिनांक - 28.12.2018

क्रमांक: राज/2018/ 358

-: संपरिवर्तन आदेश :-

नवीन विद्यापीठ शिक्षा समिति निम्बीजोधा जरिये सचिव श्रीमती सरोज कंवर पत्नि श्री भगवान सिंह जाति राजपूत निवासी निम्बीजोधा तहसील लाडनूं जिला नागौर के आवेदन व तहसीलदार लाडनूं की जांच रिपोर्ट के आधार पर उनकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमी का "राजस्थान भूराजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमी का अकृषि प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007" के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजनों के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी हैं:-

1	आवेदक खातेदारी अभिधारी का नाम, पिता/पति का नाम सहित तथा पूरा पता	नवीन विद्यापीठ शिक्षा समिति निम्बीजोधा जरिये सचिव श्रीमती सरोज कंवर पत्नि श्री भगवान सिंह जाति राजपूत निवासी निम्बीजोधा तहसील लाडनूं जिला नागौर
2	आवेदक क्या अ.जा. या अ.ज.जा. का सदस्य है	नहीं
3	संपरिवर्तित भूमी का व्यौरा:- क-ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम ख-भूमी का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्रफल ग-प्रत्येक खसरा नम्बर के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टर या मीटर में)	ग्राम निम्बीजोधा ग्राम पंचायत निम्बीजोधा तहसील लाडनूं जिला नागौर ग्राम निम्बीजोधा खसरा नम्बर 2861/986 रकबा 9-00 बीघा ग्राम निम्बीजोधा के खसरा नम्बर 2861/986 रकबा 9-00 बीघा में से 6-03 बीघा अर्थात 9958.63 वर्गमीटर
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थागत (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ
5	संदेय संपरिवर्तन प्रमारों की दर	नियम 7 के अनुसार
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	1. जी.आर.एन 27149930 चालान नम्बर 130 दिनांक 27.12.2018 द्वारा प्रिनियम राशि रु 101650/- जमा।
7	चालान संख्या/तारीख, शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	शून्य
8	चालान संख्या तथा तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	शून्य
9	क्या आदेश विनियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है	नहीं
10	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन होगा:-

- 1 उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमी का उपयोग, विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
- 2 यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमी का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराई गई प्रीमियम धनराशि समपहृत हो जायेगी।
- 3 नियम-4 में यथा वर्णित भूमी का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
- 4 लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमी के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- 5 सड़क सीमा/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग आदि की निर्धारित नाप के अनुसार दूरी छोड़ कर निर्माण करना होगा।
- 6 सलग्न ब्लू प्रिंट (नक्शा) इस संपरिवर्तन आदेश का भाग रहेगा।

सरोज कंवर

क्रमांक/सम/2018/ 359-362
प्रतिलिपि-



(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
लाडनूं नागौर

दिनांक -28.12.2018

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, नागौर को सादर प्रेषित है।
2. तहसीलदार, लाडनूं
3. सरपंच ग्राम पंचायत निम्बीजोधा।
4. नवीन विद्यापीठ शिक्षा समिति निम्बीजोधा जरिये सचिव श्रीमती सरोज कंवर पत्नि श्री भगवान सिंह जाति राजपूत निवासी निम्बीजोधा तहसील लाडनूं जिला नागौर

उप खण्ड अधिकारी (लाडनूं)

28.12.18
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
लाडनूं नागौर